

383



समक्ष 'माननीय राजस्व मंडल ग्वालीगर वेम्प उर्जन

प्रकरण क्रमांक -

बालूराम पिता धुराजी गुर्जर
निवासी - हांसली तहसील मंदसौर

---- आवेदक

बनाम

॥ 1 ॥ म०प्र० शासन
॥ 2 ॥ भारत पिता कस्तुराजी गुर्जर
निवासी - हांसली तहसील मंदसौर

--- अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता

अधिनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत्त एक मंदसौर के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 21/अ-12/2011-12 भारत पिता कस्तुरा बनाम म०प्र० शासन में गारित आदेश दिनांक 16.6.2012 से असंतुष्ट होकर निगरानी।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्नवत पेश है :-

॥ 1 ॥ मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक भारत पिता कस्तुरा द्वारा ग्राम हांसली तहसील मंदसौर की भूमि सर्वे नम्बर एक रकबा 1.74 हेक्टर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र अधीक्षक भू-अधिलेख मंदसौर को दिनांक 20.3.2012 को पेश किया गया है। तथा अधीक्षक - भू-अधिलेख मंदसौर द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त एक मंदसौर को सीमांकन किये जाने का आदेश प्रदान किया गया।

॥ 2 ॥ आवेदक की ओर से उक्त सीमांकन मामले में दिनांक 18.4.2012 को आपत्ति पेश करके निवेदन किया गया कि भूमि सर्वे नम्बर एक का रकबा 10.44 हेक्टर है। और इसके कोई बंटा नम्बर कायम नहीं हुए है। इसलिये बिना बंटा नम्बर कायम किये सीमांकन नहीं हो सकता है।

॥ 3 ॥ आवेदक की आपत्ति के बावजूद राजस्व निरीक्षक वृत्त - एक मंदसौर द्वारा दिनांक 10.6.2012 को सीमांकन उपर्युक्त भूमि सर्वे नम्बर 1 का कर दिया

1534-I/13
2.6.117
17.7.12

Handwritten notes:
17/7/12
अधीक्षक के आदेश को
21.3.13 को लोड कर दिया
जुआ 11/3

Handwritten notes:
1245
10.4.13

1245
10.4.13
आवेदक को प्राप्त

॥ 3 ॥


गया है। निम्नलिखित कृपया भ्रमंकर होकर यह निगरानी अन्य आधाराओं के अलावा निम्न

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1534-एक/13

जिला - मंदसौर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों।</p>	<p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>